

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 27/2013

ग्रामवासियान ग्राम अजगरा तहसील सरवाड जरिये प्रतिनिधिगण :-

1. शिवप्रकाश पुत्र अम्बालाल जाति ब्राहमण
 2. विनोद पुत्र बजरंग जाति ब्राहमण
 3. लक्ष्मण पुत्र बंद्री जाति ब्राहमण
 4. बनवारी पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहमण
 5. प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति जाट
 6. रामलाल पुत्र पोलू जाति जाट
 7. रामचन्द्र पुत्र मोहनराम जाति ब्राहमण
 8. रामदेव पुत्र हीरा जाति गुर्जर
 9. गोपी पुत्र कल्याण जाति गुर्जर
 10. बजरंग पुत्र काना जाति ब्राहमण
 11. लादू पुत्र नन्दा जाति ब्राहमण
- समस्त निवासीगण ग्राम अजगरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण ग्राम अजगरा तहसील सरवाड जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

- उपस्थित :-
1. श्री लोकेन्द्र सिंह, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
 2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
 3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

—: आदेश :—

दिनांक 17.06.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.02.2013 को ग्राम अजगरा में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण ग्राम अजगरा तहसील सरवाड जिला अजमेर हाल निवासी




जिला कलक्टर
अजमेर

ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक के पक्ष में ग्राम अजगरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 823 मिन रकबा 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति ने किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई। विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्रामवासियान द्वारा काम में ली जा रही है, जिस पर ग्रामवासियों के मवेशी आदि चरते हैं। विवादित भूमि किस्म गैरमुमकिन उसर है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है, जिसका किसी भी व्यक्ति को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। वकील प्रार्थीगण का आगे कथन है कि आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना करते हुए नहीं किया गया तथा न ही विज्ञप्ति जारी की गई है। यहां तक की विवादित भूमि के आवंटन बाबत कोई नियमानुसार प्रार्थना पत्र आवंटित किये गये। सिर्फ पटवारी हल्का द्वारा कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को नाजायज लाभ देने की गरज से बिना किसी प्रकार की प्रार्थना पत्र की जांच किये विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि के नियमन/आवंटन करवाने की अधिकारी नहीं थी। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो दिनांक अंकित की गई है न ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पटवारी हल्का ने भी बिना किसी प्रकार की जांच के अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि के आवंटन की सिफारिश कर दी। उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर छल, कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। उन्होंने अपने परिवार द्वारा धारित भूमि तथा अपने हिस्से में दर्ज भूमि बाबत कोई विवरण दर्ज नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई न तो कब्जा काश्त था न ही अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम अजगरा का निवासी है बल्कि वह ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक का निवासी है। वरवक्त आवंटन समिति का कोरम अपूर्ण था। सरपंच श्रीमति मधु कंवर उक्त दिनांक को बुखार से पीडित थी जो घर पर ही थी। मौके पर सरपंच श्रीमति मधु कंवर नहीं थी तथा उनकी अनुपस्थिति में आवंटन सलाहकार समिति ने विवादित भूमि के अतिरिक्त जो अन्य नियमन/आवंटन आदेश पारित किये थे उन पर सरपंच के हस्ताक्षर उसके घर जाकर बाद में करवाये गये थे। उन्होंने यह भी कथन किया कि आवंटन आदेश पर विधायक महोदय के भी हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.02.2013 को जो भी आवंटन/नियमन आदेश पारित किये गये थे वे संदेहास्पद है। अंत में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण




जिला कलक्टर
अजमेर

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन/आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन झूठे एवं बेबुनियाद है। उनका कथन है कि अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच पश्चात पुराने कब्जे काशत के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि किस्म बंजड है जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमि बरानी-3 काबिल काशत दर्ज है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं है बल्कि अप्रार्थी का विवादित भूमि पर आवंटन पश्चात निरंतर कब्जा काशत चला आ रहा है। आवंटी द्वारा भूमि को काफी मेहनत व धन राशि खर्च कर काबिल काशत बनाया है एवं फसल काशत की जा रही है। प्रार्थीगण अपने धन बल से अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि को हडप करना चाहते हैं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि आबादी भूमि से लगती हुई है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्रामवासियान द्वारा उपयोग में ली जा रही है उन्होंने यह भी कथन किया कि कृषि भूमि आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो झूठ एवं कपटपूर्वक, तथ्यों को छिपा कर करवाया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई हो। जबकि अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की जा रही है तथा रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल कपटपूर्वक करवाया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि वे ग्राम अजगरा के निवासी नहीं हैं जबकि अप्रार्थी के भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस एवं सरपंच ग्राम पंचायत अजगरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.2016 के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है कि अप्रार्थी ग्राम अजगरा का मूल निवासी हैं। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर मजमे आम में किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नियमानुसार की गई है। वरवक्त आवंटन समिति का कोरम पूरा था तथा समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित हैं। आवंटन कमेटी द्वारा उक्त शिविर में लगभग 70-80 व्यक्तियों को भूमि आवंटन/नियमन की गई है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पूर्णतय नियमानुसार किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को





जयपुर, कलेक्टर
अजगरा

छिपा कर राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया हो प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 02.02.2013 को विवादित भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 2 माह पश्चात ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इतनी अल्प अवधि में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि वे अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो Misrepresentation के आधार पर करवाया गया हों। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पुराने कब्जे काश्त के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.06.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(किशोर कुमार)
(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर अजमेर
अजमेर